



प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 17 अगस्त, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आय-व्ययक में सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित बजट के सापेक्ष द्वितीय किशत की धनराशि रू० 133.33 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1384/एफ-31(114)/यूपीआरआरडीए/2026-27, दिनांक 06.08.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के संचालन हेतु सहायता अनुदान में गैर वेतन मद के लिए प्रावधानित धनराशि रू० 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किशत की धनराशि रू० 133.33 लाख (रूपये एक करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (2) आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।
- (3) पूर्व स्वीकृत किशत के नियमानुसार व्यय/समायोजन व आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।
- (4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करते हुए अपितु प्रकरण में आवश्यकता व औचित्य के सम्बन्ध में संतुष्ट होते हुए नियमानुसार ही किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।
- (8) धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
- (10) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,33,33,000 (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 2515008000401 उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-2-74-X-2026-27 दिनांक: 12-8-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-15/2026/पी-453/002-38-9002-002-2-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, लखनऊ/प्रयागराज।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- नोडल अधिकारी, उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वित्तीय स्वीकृतियों को उ०प्र० बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने तथा आनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम में प्रविष्टि करने हेतु।
- 6- वित्त नियंत्रक, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- 9- ग्राम्य विकास अनुभाग-08, उ०प्र० शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

योगेश चन्द्र दीक्षित
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।